भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2816

उत्तर देने की तारीख: 08.08.2024

एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना

2816. **श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः**
श्री बसवराज बोम्मईः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) हेतु व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) एमएसएमई की सहायता के लिए एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना (आरएएमपी) की शुरूआत से अब तक की स्थिति क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) ने एमएसएमई हेतु कारोबार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

i. एमएसएमई क्षेत्र के दायरे को व्यापक बनाने के लिए निवेश और सालाना कारोबार के आधार पर उच्च सीमा के साथ एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए मानदंड।
ii. 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
iii. दिनांक 01.07.2020 को कारोबार में आसानी हेतु एमएसएमई के लिए "उद्यम पंजीकरण" का शुभारंभ किया गया।
iv. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम सहायता मंच का शुभारंभ।
v. ऋण उद्देश्य के लिए दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल किया जाना।
vi. एमएसएमई की स्थिति में ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होने पर गैर-कर लाभ को 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना।
vii. वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से एमएसई की बकाया राशि की निगरानी और शिकायत दर्ज करने के लिए समाधान पोर्टल का शुभारंभ।
viii. शिकायतों के निवारण और एमएसएमई को पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को शामिल करने के लिए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" का शुभारंभ किया जाना।

(ख) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 30 जून 2022 को एमएसएमई कार्य निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) की शुरुआत की गई तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) द्वारा पांच वर्ष की अवधि अर्थात वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देकर, विचारों को प्रोत्साहित करके, पद्धतियों और प्रक्रियाओं में सुधार करके, बाजार पहुंच को बढ़ाकर, हरित पहलों को बढ़ावा देकर, महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए गारंटी बढ़ाकर मौजूदा एमएसएमई स्कीमों के प्रभाव को बढ़ाने के साथ एमएसएमई की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है, इसका उद्देश्य कार्यनीतिक निवेश स्कीम (एसआईपी) को तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान करके केंद्र-राज्य सहयोग को बढ़ावा देना है। कार्यनीतिक निवेश स्कीम (एसआईपी) राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विकसित एक रोडमैप है तथा रैम्प राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसआईपी में अनुमोदित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुदान प्रदान करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसआईपी प्रस्तुतीकरण की स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है।

***

अनुबंध – I

दिनांक 08.08.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा प्रश्न संख्या 2816 के भाग (ख) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध

एमएसएमई के कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई धनराशि का विवरण (दिनांक 30.06.2024 तक)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**प्रस्तुत की गई एसआईपी (हां/नहीं)**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा**			
			एसआईपी तैयार करने हेतु		**एसआईपी के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु**	
			निर्मुक्त राशि	**वास्तविक व्यय**	**निर्मुक्त राशि**	**वास्तविक व्यय**
1	आंध्र प्रदेश	हां	5.00	0.51	42.828	10.167
2	अरुणाचल प्रदेश	नहीं	5.00	शून्य	एसआईपी प्रस्तुत नहीं की गई	
3	असम	हां	5.00	1.686	35.864	शून्य
4	बिहार	हां	5.00	1.36	54.296	0.31
5	छत्तीसगढ	नहीं	5.00	शून्य	एसआईपी प्रस्तुत नहीं की गई	
6	गोवा	हां	5.00	0.71	24.628	शून्य
7	गुजरात	हां	5.00	0.66	47.06	शून्य
8	हरियाणा	हां	5.00	2.32	54.068	शून्य
9	हिमाचल प्रदेश	हां	5.00	1.39	43.736	शून्य
10	झारखंड	नहीं	5.00	शून्य	एसआईपी प्रस्तुत नहीं की गई	
11	कर्नाटक	हां	5.00	0.88	47.488	शून्य
12	केरल	हां	5.00	0.93	43.084	शून्य
13	मध्य प्रदेश	हां	5.00	0.94	42.144	शून्य
14	महाराष्ट्र	हां	5.00	3.29	75.796	0.53
15	मणिपुर	नहीं	5.00	शून्य	एसआईपी प्रस्तुत नहीं की गई	
16	मेघालय	हां	5.00	2.275	17.9216	0.88
17	मिजोरम	हां	5.00	2.94	14.944	शून्य
18	नागालैंड	हां	5.00	1.829	20.808	शून्य
19	ओडिशा	हां	5.00	2.55	22.936	शून्य
20	पंजाब	**हां**	5.00	0.91	48.14	**शून्य**
21	राजस्थान	हां	5.00	0.91	45.92	शून्य
22	सिक्किम	हां	5.00	0.66	29.896	शून्य
23	तमिलनाडु	हां	5.00	4.72	65.64	शून्य
24	तेलंगाना	हां	5.00	1.87	46.94	शून्य
25	त्रिपुरा	हां	5.00	1.16	26.068	1.16
26	उत्तर प्रदेश	हां	5.00	3.61	61.452	शून्य
27	उत्तराखंड	हां	5.00	4.99	33.22	शून्य
28	पश्चिम बंगाल	हां	5.00	0.58	33.60	शून्य
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	नहीं	5.00	शून्य	एसआईपी प्रस्तुत नहीं की गई	
30	चंडीगढ़	हां	5.00	1.12	17.228	शून्य
31	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	नहीं	5.00	शून्य	एसआईपी प्रस्तुत नहीं की गई	
32	लद्दाख	नहीं	5.00	शून्य	एसआईपी प्रस्तुत नहीं की गई	
33	जम्मू एवं कश्मीर	नहीं	5.00	शून्य	एसआईपी प्रस्तुत नहीं की गई	
34	पुडुचेरी	नहीं	5.00	0.57	एसआईपी प्रस्तुत नहीं की गई	
35	लक्षद्वीप	नहीं	-	शून्य	एसआईपी प्रस्तुत नहीं की गई	